राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या :– 2602/2016...जिला.......................................दौसा

उनवान – मैसर्स सुरेन्द्र कुमार, रविन्द्र कुमार बांदीकुई, दौसा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री खेमराज, अध्यक्ष**	
11.01.2017	प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा लकड़ी एवं फर्नीचर, अलमारी, कूलर, बेडशीट, कांच गिलास आदि का व्यापार किया जाता है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–दौसा (जिसे आगे **''सशक्त अधिकारी''** कहा जायेगा) ने अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2013–14 का करारोपण करते हुये, अपीलार्थी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का समायोजन एवं नकद जमा राशि का समायोजन कर, अपीलार्थी के विरुद्ध शेष मांग राशि 2,23,863/– कायम की गई। उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.05.2016 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.09.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 2,23,863/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री पंकज धीया ने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिसम्मत नहीं बताया तथा रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशो का समर्थन करते हुए, रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया। प्रकरण में जॉब वर्क पर करारोपण का तथ्य अन्तर्वलित है अतः प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 2,23,863/– की वसूली कार्यवाही इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। (खेमराज) अध्यक्ष	